विक्टिम्स कोड (पीड़ित संहिता) के बारे में

आप कैसे व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं

अपराध से पीड़ितों के लिए सहायता उपलब्ध है और आप कैसे व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं, इस बारे में भी नियम हैं। इन्हें विक्टिम्स कोड (पीड़ित संहिता) में स्पष्ट किया गया है।

आप पूरे कोड को victimsinfo.govt.nz पर पढ़ सकते हैं, प्रिन्टिड कॉपी (मुद्रित प्रति) के लिए 0800 650 654 पर फोन करें या victimscentre@justice.govt.nz पर ईमेल करें।

सहायता प्राप्त करना

victimsinfo.govt.nz वेबसाइट पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (दण्ड न्याय प्रणाली) को समझने में आपकी मदद के लिए जानकारी उपलब्ध है। इस पर पीड़ितों को सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की सूची दी गई है।

जानकारी और अपने लिए सही सेवा को खोजने में मदद के लिए नि:शुल्क **0800 650 654**। नम्बर पर फोन करें। अगर जरूरत हो तो हम आपके लिए दुभाषिए का प्रबन्ध कर सकते हैं।

कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र (कोर्ट पीड़ित सलाहकार) – अगर केस अदालत में चला जाता है, तो कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र आपकी मदद की पेशकश करेंगे। कोई भी पीड़ित जिसे अदालत की प्रक्रिया को समझने में सहायता चाहिये, वे कोर्ट विक्टिम एडवाइज़र के साथ अपना संपर्क कराने के लिए 0800 650 654 नम्बर पर फोन कर सकते हैं।

प्रिंसिपल्स (सिद्धान्त)

आपकी या आपके परिवार की सहायता करने वाले सभी लोगों, संगठनों और सरकारी एजेंसियों से निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है:

- आपकी सुरक्षा और होने वाली हानि में कमी लाने को प्राथमिकता दी जाए।
- आपकी सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय और सामाजिक ज़रूरतों, मूल्यों और मान्यताओं का आदर किया जाए और शिष्टाचार तथा करूणा दिखाई जाए।
- आपके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाए और आपकी गोपनीयता का आदर किया जाए।
- उचित व्यवहार के साथ आपकी जरूरतों का जवाब उचित समय पर, सीधे तरीके से दिया जाए। सहायता के लिए आपके विकल्पों की व्याख्या की जाए और आपके सवालों के जवाब ईमानदारी से और सही ढंग से दिए जाए ताकि आप अपना चुनाव सूचित होकर कर सकें।
- आपको सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त उत्तम कोटि की सेवाएं प्रदान की जाएं। आपकी सहायता करने वाले लोगों और एजेंसियों के लिए साथ मिलकर काम करना जरूरी है।
- आपको आसानी से समझ आने वाली जानकारी दी जाए तथा आपके साथ खुले तौर पर, ईमानदारी और प्रभावशाली ढंग से सम्पर्क किया जाए।
- आपके लिए फीडबैक देना और शिकायत करना आसान किया जाए।

पीड़ित के अधिकार

आपने अगर पुलिस के पास किसी अपराध की रिपोर्ट की है या अपराध कोर्ट में पेश हुआ है, तो आपको विक्टिम्स राईट्स एक्ट (पीड़ित अधिकार अधिनियम) 2002 और अन्य कानूनों के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त हैं। यह जरूरी है कि न्याय प्रणाली के लोग और एजेंसियां, जैसे कि पुलिस, कोर्ट और करेक्शन्स कर्मचारी आपके अधिकारों को कायम रखें।

आपको अधिकार है कि आपकी स्थिति के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों, उपचारों और सेवाओं के बारे में आपको बताया जाए।

आपको यह अधिकार है कि उपयुक्त समय से आपके केस के बारे में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी आपको दी जाए, अन्यथा ऐसा करने से जाँच-पड़ताल में हानि होने की संभावना हो जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

- युवा व्यक्ति या प्रतिवादी के विरुद्ध आरोप दायर किया गया हो
- आरोप नहीं लगाए जाने का कारण
- गवाह के रूप में आपकी भूमिका
- सुनवाई कब और कहाँ होगी

- किसी भी आपराधिक कार्यवाही में क्या हुआ था
- फैमिली ग्रुप कॉन्फ्रेन्स (पारिवारिक समूह सभा) के दौरान सहमत योजना पर युवा व्यक्ति की प्रगति।

आप यह जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को देने के लिए भी कह सकते हैं जो उसे आपको समझा सके।

आपको विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (पीड़ित प्रभाव कथन) देने का अधिकार है जो सजा सुनाए जाने के समय कोर्ट को यह बताता है कि अपराध का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है। आप ऐसा करने के लिए मदद ले सकते हैं, और जज आपको या आपके द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति को इसे कोर्ट में पढ़ने की अनुमति दे सकते हैं।

आपको जज को यह बताने का अधिकार है कि अपराधी के नेम सप्रेशन (नाम दमन) पर विचार करने के बारे में आपकी क्या राय है। जो बच्चे और युवा व्यक्ति अपराध करते हैं उनका नेम सप्रेशन (नाम दमन) और कुछ अन्य ब्यौरे का सप्रेशन अपने आप ही हो जाता है।

एक गवाह के रूप में आपको अधिकार है कि आप कोर्ट में माओरी में बोलें या न्यूज़ीलैंड साईन भाषा का प्रयोग करें। अगर आप एक गवाह नहीं हैं, तो भी जज की सहमति से आप इन भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। एक दुभाषिए का प्रबन्ध किया जाएगा।

सबूत के रूप में आपकी जो भी सम्पत्ति ली गई थी, आपको अधिकार है कि वह आपको जितना जल्दी हो सके वापिस कर दी जाए।

गंभीर अपराध

आप अगर यौन अपराध या गंभीर हमले जैसे एक गंभीर अपराध से पीड़ित हुए हैं, तो आपको कुछ अतिरिक्त अधिकार प्राप्त हैं।

पुलिस आपको बताएगी कि आपको अपराधी के जमानत पर रिहा होने के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है या नहीं। आपको अधिकार है कि आपको बताया जाए कि अपराधी को जमानत पर रिहा किया जा रहा है या नहीं, और जमानत की उन शर्तों के बारे में आपको बताया जाए जिनका प्रभाव आप या आपके परिवार पर पड़ सकता है।

आपको पुलिस के पास खुद को रजिस्टर कराने का अधिकार है ताकि आपको अपराधी से सम्बन्धित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया जा सके, जैसे कि अगर उनकी पैरोल के लिए सुनवाई होने वाली हो, अपनी सजा के दौरान अगर उन्होंने दुबारा अपराध किया हो, जेल से उनकी रिहाई होने वाली हो, जेल से भाग गए हों या उनकी मौत हो गई हो।

आपको यह जानकारी किसी और को देने के लिए कहने का अधिकार है ताकि वे उसे समझने में आपकी मदद कर सकें।

अपराधी को पैरोल के लिए या उनके एक्सटेन्डिड (बढ़ाए गए) निरीक्षण आदेश में किसी भी परिवर्तन के लिए विचार किया जा रहा है, तो आपको इस बारे में अपना मत देने का अधिकार है। यह उन अपराधियों के लिए है जो जेल में 2 साल से अधिक की सजा काट रहे हैं।

बच्चा या युवा व्यक्ति

यदि अपराधी एक बच्चा है (10 से 13 साल) या युवा व्यक्ति (14 से 16 साल) है तो:

- आपको फैमिली ग्रुप कान्फ्रेंस (पारिवारिक समूह सम्मेलन) में भाग लेने और अपराध का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा आप क्या होते देखना चाहेंगे इस बारे में अपना मत देने का अधिकार है।
- आप सहारे के लिए अपने साथ किसी को ले जा सकते हैं। आप फोन द्वारा उपस्थित हो सकते हैं, अपने विचार लिखित में दे सकते हैं या किसी और से अपनी जगह लेने के लिए कह सकते हैं।

शिकायत

एजेंसियों के बारे में

अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया है तो आप शिकायत कर सकते हैं।

- उस एजेंसी से बात करें और उनकी शिकायत प्रणाली का प्रयोग करें।
- विक्टिम्स इन्फोर्मेशन लाईन को 0800 650 654 पर फोन करें या victimsinfo.govt.nz पर जाएं।

एजेंसियों द्वारा तुरन्त और उचित रूप से उत्तर देना जरूरी है। आप निम्नलिखित के पास शिकायत कर सकते हैं:

ऑफिस ऑफ दी ओमबुड्समैन (लोकपाल कार्यालय)
0800 802 602
ombudsman.parliament.nz

- इनडिपेन्डेन्ट पुलिस कॉन्डक्ट अथॉरिटी (स्वतंत्र पुलिस आचरण प्राधिकरण)
0800 503 728
ipca.govt.nz
- प्राइवेसी कमिशनर (गोपनीयता आयुक्त)
0800 803 909
privacy.org.nz

जजों के बारे में

कोर्ट, जज और न्यूज़ीलैंड पैरोल बोर्ड कोड में दिए गए अधिकारों और सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं, परन्तु उसके अधीन नहीं हैं।

आप जज के आचरण के बारे में जुडिशियल कॉन्डक्ट कमिशनर (न्यायिक आचरण आयुक्त) को 0800 800 323 नम्बर पर या www.jcc.govt.nz पर शिकायत कर सकते हैं।

आप न्यूज़ीलैंड पैरोल बोर्ड के बारे में 0800 727 653 नम्बर पर शिकायत कर सकते हैं, info@paroleboard.govt.nz